भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1229

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाने हेतु कदम

1229. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान बेरोजगारी दर का आयु वर्ग, लिंग और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा महामारी से पूर्व के स्तर से इसकी तुलना क्या है;

(ख) औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन और कौशल विकास पहलों सहित बढ़ती युवा बेरोजगारी के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनौपचारिक और गिग इकोनमी नौकरियों की वृद्धि पर कोई आकलन किया है और यदि हां, तो वेतन, नौकरी सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण पर प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश भर में मजदूरी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा निगरानी तंत्र सहित उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता या कोई सहायता योजना लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, प्रस्ताव और उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है। इसके अतिरिक्त, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 22.0% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.3% हो गया है।

पीएलएफएस रिपोर्टों में महामारी पूर्व स्तरों की तुलना के साथ-साथ, आयु समूह, लिंग और राज्य-वार द्वारा अलग-अलग विस्तृत सूचना उपलब्ध है जिसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

(ख): युवाओं सहित रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

2015 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है ताकि युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सक्षम बनाकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को समर्थन देने, नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम

आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

(ग): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स के योगदान को स्वीकार करते हुए, सरकार ने 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में, उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने, उनके पहचान पत्र बनाने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

(घ): केंद्र सरकार ने वेतन संहिता, 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तैयार की है और सामान्य जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की है। विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और वेतन संहिता, 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को सौंपी गई है। उपर्युक्त संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने दोनों संहिताओं के तहत अपने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्रमशः 34 और 32 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता के अनुसार, अपनी नौकरी गंवाने वाले बीमित श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है।

*****